न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 1/2019 (राजसमन्द डिक्री)

उदयलाल पिता भूरा जी रेबारी, निवासी राबचा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. देवीलाल पिता भूरा जी रेबारी, निवासी राबचा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा दिनांक
19–12–2017 प्रकरण सं. 197/14

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री यशवन्त अरोड़ा अभिभाषक रे.सं. 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 27–11–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध विभाजन एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राबचा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 5 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी की हैं, जिसमें वादी का 1/7 हिस्सा है तथा वादी ने 5/7 हिस्सो अपनी बहनों से जरिये हक–त्याग प्राप्त किया है, जिससे विवादित भूमि में वादी का 6/7 हिस्सा है। अतः उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर वादी को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी से मना करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से उनके जवाब का अवसर बन्द किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 19–12–2017 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट

होकर अपीलान्टग/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–01–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री यशवन्त अरोड़ा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी सीधा साधा ग्रामीण व्यक्ति होने से उसे कानून का ज्ञान नहीं है। दिनांक 27–12–2018 को पटवारी ने मौके पर आकर उसे विभाजन की जानकारी दी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–12–2017 की अपील 60 दिवस में अर्थात दिनांक 18–02–2018 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–01–2019 को प्रस्तुत की गयी है अर्थात अपील करीब 10 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जबकि निर्णय वादी/अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनकर पारित किया गया है। विलम्ब के लिए अपीलान्ट की ओर से जो कारण बताये गये हैं वह न तो उचित प्रतीत होते हैं न ही पर्याप्त कारण है, जबकि देरी से प्रस्तुत अपील में मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। तद्नुसार अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–12–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27–11–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

उदयलाल पिता भूरा जी रेबारी, निवासी राबचा, तह0 नाथद्वारा, जिला राजसमन्द	बनाम	**देवीलाल पिता भूरा जी रेबारी, निवासी राबचा, तह0 नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**1/2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**नाथद्वारा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**19**.....माह.....**12**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**....माह.....**11**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीष शर्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री यशवन्त अरोड़ा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–12–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**11**.....**2019** को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.12.04 14:53:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: